न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी0ए0 / 3199 / 2004 / जोधपुर

भोमराज पुत्र हरीराम (मृतक) जाति सुथार निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर :–

1– पुखराज पुत्र भोमराज

2– सीमा पुत्री भोमराज

समस्त जाति सुथार निवासी फलोदी तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– बुधलाल (मृतक) पुत्र शिवनारायण

जरिये कायम मुकाम :–

1/1. प्रकाश पुत्र बुधलाल निवासी गोपाल वर्तमान पता मार्फत तोलाराम सुथार, भदवासिया, गैस गोदाम के पास, महा मंदिर जोधपुर

1/2. बाला देवी पत्नी बुधलाल जाति सुथार निवासी मार्फत गिरधार सुथार, अध्यापक, जैन सीनियर सैकण्डरी स्कूल, पोस्ट ओसियां जिला जोधपुर।

1/3. ओम प्रकाश पुत्र बुधलाल जाति सुथार निवासी बस स्टैण्ड, ओसिया, जिला जोधपुर।

1/4. गिरधर कुमार पुत्र बुधलाल जाति सुथार निवासी जैन सीनियर सैकण्डरी स्कूल पोस्ट ओसियां, जिला जोधपुर।

1/5. ज्योति प्रकाश पुत्र बुधलाल जाति सुथार मार्फत गिरधर सुथार अध्यापक, ठिकाना जैन सीनियर सैकण्डरी स्कूल ओसियां, जिला जोधपुर

1/6. श्रीमति मंजू पत्नी भंवरलाल जाति सुथार मथानिया वाले निवासी डी सेक्टर पार्क के पास, प्रताप नगर, जोधपुर।

2– मंगलचन्द पुत्र श्रीकिशन जाति सुथार निवासी फलोदी नाहटा स्ट्री, हाल गोपा तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

3– अखेराज पुत्र श्रीकिशन जाति सुथार निवासी फलोदी नाहटा स्ट्रीट हाल फलोदी जिला जोधपुर।

4– मूलचन्द उर्फ खालू पुत्र श्रीकिशन साई नगर, राजा नगर के सामने, ठिकाना पोस्ट नाला सुपारा (पूर्व) जिला थाणे बम्बई (महाराष्ट्र)

5– अशोक कुमार पुत्र श्रीकिशन जाति सुथार मार्फत बालकिशन जांगिड़ प्लॉट सं0 11, चन्द्र विहार कॉलोनी, आम्रपाली रोड, वैशाली नगर, जयपुर पोस्ट
जयपुर राजस्थान।

6– बालकिशन पुत्र श्रीकिशन जाति सुथार, प्लॉट नंबर 11, चन्द्रविहार कॉलोनी, आम्रपाली रोड, वैशाली नगर, जयपुर पोस्ट जयपुर राजस्थान।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः
श्री वी0एस0 राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी।

———

निर्णय

दिनांक : 11 अप्रेल, 2022

हस्तगत् अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 113/2005 में पारित निर्णय दिनांक 16–4–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय सहायक कलक्टर, फलोदी के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम, 1955 इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी/वादी के पिता स्व0 हरीराम और प्रत्यर्थी संख्या–1/प्रतिवादी नंबर 1 स्व0 बुधलाल के पिता स्व0 शिवनारायण सगे भाई थे, जो शेराजी के लड़के थे। शेराजी क एक भाई सदासुख थे और प्रत्यर्थी संख्या–2 से 6/प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता श्री किशन जो शिवनारायण के पुत्र हैं, वे सदासुख के गोद चले गये थे। विवादित भूमि खसरा नंबर 492 और 492/1 कुल रकबा 60 बीघा 19 बिस्वा का दिनांक 06–7–1943 को जारी पट्टा बापी गांव गोल गोपा परगना फलोदी रियासत जोधपुर की तरफ से जारी किया जिसमें सदासुख बेटा, लालाजी, शिवनारायण और हरीराम बेटा शेराजी का बहिस्सा बराबर अंकित था। इस प्रकार उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा सदासुख, 1/3 हिस्सा शिवनारायण का और 1/3 हिस्सा हरीराम का था। शिवनारायण क 2 पुत्र श्री किशन व बुधलाल में से एक पुत्र श्रीकिशन सदासुख के गोद चला गया था। अतः इस भूमि में 1/3 हिस्सा श्रीकिशन का 1/3 हिस्सा बुधलाल का और 1/3 हिस्सा भोमराज पुत्र हरीराम का हुआ और इस प्रकार से अपने हिस्से पर काबिज थे। संवत 2012 में हुए भू प्रबंध से खसरा नंबर 492 का नया नम्बर 32 और खसरा नंबर 492/1 का नया नम्बर 31 बना है। हरीराम के देहान्त के बाद उसकी भूमि पर अपीलार्थी भोमराज काबिज हुआ तो प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पूरी भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया तथा वर्ष 1993 में यह वाद परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय के समक्ष गवाहान का सुना गया तथा तनकीयात कायम कर अपने निर्णय व डिक्री 21–11–2002 द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज

किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–4–2004 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि में किशन के पिता का 1/3 हिस्सा, शिवनारायण का 1/3 हिस्सा और श्री हरिराम उर्फ हरिया का 1/3 हिस्सा था। इस प्रकार भोमजराज के पिता स्व0 हरिराम का विवादित भूमि में शुरू से 1/3 हिस्सा था। प्रकरण में बापी पट्टा जारी किया था जिसमें इन तीनों के नाम दर्ज थे। लेकिन सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी भोमराज के पिता हरिराम का नाम हटा दिया गया और श्रीकिशन और बुधलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया। परीक्षण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट जाहिर था कि अपीलार्थी के पिता हरिराम का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादीगण केवल जमाबंदी के आधार अपना 1/2 – 1/2 विवादित भमि पर अपना हिस्सा बता रहे हैं। परन्तु इन तथ्यों को दरकिनार रखते हुए परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है। प्रतिवादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक काउण्टर दावा पेश किया गया था जो परीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई इसलिए प्रतिवादी विवादित भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व का दावा नहीं कर सका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं कर केवल परीक्षण न्यायालय के निर्णय का बरकरार रखा है, जो एक पक्ष स्थापित करने के करण सवर्था रद्ध करने योग्य है। अन्त में उनका कथन है कि अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्स्थ न्यायालयों द्वारा विधि के विपरीत जाकर पारित किये गये निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाये जावें।

4– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि संवत 2012 के समय प्रतिवादी के पूर्वजों का विवादित आराजी में नाम दर्ज रिकार्ड था। वादी के पूर्वज हरिराम का तत्समय की जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं था। सेटलमेंट के समय यदि हरिराम का नाम विवादित भूमि में अंकित नहीं किया गया तो उस समय ही इस संबंध में चाराजोही करनी चाहिए थी। इतनी लम्बी अवधि के बाद दावा पेश किया गया है, जो सर्वथा निरस्त किये जाने योग्य ही था। परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को पूर्णतया विश्लेषित कर ही वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी बहाल रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6— परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, फलौदी (जोधपुर) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—11—2002 में तनकीवार यह स्पष्ट जाहिर किया है कि सेटलमेंट द्वारा कब देखकर ही हरिराम उर्फ हरिया का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा यह कथन भी किया गया है कि भोमराज के पिता हरिया उर्फ हरजी धरणीधर पुत्र लालाराम के गोद चला गया था। वादीगण को उसी समय उज्रदारी करनी चाहिए थी। वादी द्वारा अपने कब्जे को साबित करने के लिए वादग्रस्त भूमियों से संबंधित कोई खसरा गिरदावरी भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। वादी द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के संबंध में केवल बापी पट्टा दिनांक 06—7—1943 एवं बुधलाल द्वारा दायर दावा तथा तथा बयान का सहारा लिया गया है। वादीगण द्वारा अपने कब्जे को सिद्ध करने के लिए लगान रसीदें और संवत 2012 में काश्त का प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन सभी तथ्यों व परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपने निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किया है।

7— अधीनस्थ न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने भी तनकीवार विस्तृत विश्लेषण कर यह अंकित किया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सही है। गवाहों को और विश्लेषित करते हए उन्होंने अंकित किया है गवाह वासुदेव पी.डब्ल्यू 1 भी विवादित भूमि का पड़ेसी नहीं है। उसने भी बयान दिये कि संवत 2012 में भोमराज के पिता की गेहूं की फसल थी, पर भोमराज ने इसकी पुष्टि में संवत 2012 की खसरा गिरदावरी की नकल पेश नहीं की। प्रतिवादी के गवाहान से भी यह जाहिर है कि भोमराज जिस विवादित भूमि पर अपना हिस्सा बता रहा है वहां खेती करने नहीं नहीं जाता है।

8— अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 के बारे में यह उल्लेखित किया है कि तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में होने से तनकी संख्या 3 का लाभ प्रतिवादी नहीं ले सकता है।

9— हमारे विनम्र मत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है। परीक्षण न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट पाया है कि प्रार्थी / वादी का संवत 2012 के समय विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं था। ऐसी स्थिति में इतनी लम्बी अवधि बाद किसी स्वीकार्य दस्तावेजों व साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय क समक्ष अपनी उज्रदारी पेश किया जाना उचित नहीं है। वादीगण अपना कब्जा विवादित भूमि पर होने के संबंध में बापी पट्टे के सिवाय कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं कर पाये है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख है कि बापी पट्टे तत्समय केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये दिये जाते थे। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी / अपीलार्थी का विवादित भूमि पर ऐसा कब्जा काश्त साबित नहीं किया जा सकता है जिसके आधार पर खातेदारी घोषणा की जा सके। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व

डिक्री में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है जिसमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किया जा सके।

10— परिणामतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16—4—2004 तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, फलौदी (जोधपुर) द्वारा निर्णय व डिक्री 21—11—2002 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(खजान सिंह)
सदस्य